जस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

511] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1971/आश्विन 23, 1893

No. 511] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1971/ASVINA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

ESTATE DUTY

New Delhi, the 15th October 1971

S.O. 3862.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) published as S.O. 1750 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 23rd April, 1971, the entries appearing at page 2042 thereof against Sl. No. 56 viz. "Shri K. G. Menon, Jayasree, No. 31st Street, Jayalakshmipuram, Numgambakkam, Madras-34", under the category "III. Specialist in Agriculture and Farm Valuation" shall be deleted, and at page 2039 of the said Notification under the category "I. Engineers/Surveyors/Architects" after Sl. No. 29 the following shall be inserted:

"29A. Shri K. G. Menon, Jayasree, No. 3, First Street, Jayalakshmipuram, Off Sterling Road, Nungambakkam, Madras-34."

[No. F.300/2962/70-E.D.]

BALBIR SINGH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि-पत्र

सम्पदा-शुल्क

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1971

एस० ओ० 3802.—दिनांक 23 अप्रैल, 1971 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में एस० ओ० संख्या 1750 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना में पृष्ठ 2042 पर श्रेणी "III कृषि और फार्म मूल्यांकन में विशेषज्ञ" के अन्तर्गत क्रम सं० 56 के सामने लिखी प्रविष्टि अर्थात् "श्री के० जी० मेनन, जयश्री, गली नं० 31, जयलक्ष्मीपुरम्, नंगम्बक्कम, मद्रास-34" को हटा दिया जाये और उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 2039 पर श्रेणी "I इंजीनियर/सर्वेक्षक/वास्तुक" के अधीन क्रम सं० 29 के बाद निम्नलिखित जोड़ लिया जाए :

"29ए श्री के० जी० मेनन, जयश्री, सं० 3, पहली गली, जयलक्ष्मीपुरम्, स्टर्लिंग रोड के परे, नंगमबक्कम्, मद्रास-34"

[सं० फा० 300/2962/70-सं० शु०]

बलबीर सिंह, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971